

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 18, गुरुवार, शके 1947- जनवरी 08, 2026 Pausa 18, Thursday, Saka 1947- January 08, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
संशोधित अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 08, 2025

संख्या प.12(02)नविवि/चित्तौड़गढ़/2025 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ की सीमा में अभिष्ट नगरीय क्षेत्र के लिए राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 246,247,264,265,283,284 व 399 एवं बोदियाना के खसरा संख्या 275 व 277 कुल रकबा 40.84 हैक्टेयर में स्थित भूमि की आवासीय योजना बनाया जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना की सीमा यें निम्न प्रकार है:-

उत्तर :- राजस्व ग्राम पाण्डोली के खसरा संख्या 1324, 1325, 1326, 1327, 1330, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1386, 3363/1386 एवं 3364/1388 तथा राजस्व ग्राम बोदियाना के 105, 273 को बाहर छोड़ते हुये।

पूर्व :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 401, 402, 962/400, 963/400, 410, 411, 412 राजस्व ग्राम बोदियाना के खसरा संख्या 281, 282, 301, 274, 630/274 को बाहर छोड़ते हुये।

पश्चिम :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 847/5, 5 को बाहर छोड़ते हुये।

दक्षिण :- राजस्व ग्राम नरपत की खेड़ी के खसरा संख्या 941/24, 942/24, 829/25, 768/25, 25, 771/26, 26, 27, 244, 935/245, 936/245, 938/245, 925/245, 926/245, 927/245, 249, 248, 778/250, 250, 252, 263, 266, 267, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 278, 281, 286, 285, 354, 751/354, 390, 391, 834/392, 392, 393 से 398, 428 को बाहर छोड़ते हुये ।

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और नक्शा नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय में उपलब्ध है। तथा किसी भी कार्यदिवस में सायं 03.00 बजे से 5.00 बजे तक देखा जा सकता है। योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 40.84 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।